सहकारिता विभाग
जनपद–चम्पावत

जनपद चम्पावत में 23 साधन सहकारी समितियां एक क्रय–विक्रय सहकारी समिति, 13 श्रम संविदा सहकारी समितियां, 1 प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार, 3 वेतनभोगी सहकारी समितियां, 7 जिला सहकारी बैंक की शाखाएं, 5 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की शाखा, 30 स्वायत्त सहकारिताएं ऋण बचत व कृषि वानिकी क्षेत्र में गठित हैं।

जनपद की सहकारी समितियां अपने कृषक सदस्यो/गैर कृषक सदस्यों को विभिन्न योजनाओं में ऋण वितरण, उर्वरक वितरण, उपभोक्ता व्यवसाय, के साथ–साथ बैंकिग सुविधा 48 मिनी बैंको/विस्तार पटलों के माध्यम से उपलब्ध करा रही हैं। जनपद में सहकारी बैंक व अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की शाखाओं के माध्यम से जनपद में विभिन्न प्रकार की बैंकिग सेवाएं प्रदान कर रही हैं।

साधन सहकारी समितियां :–जनपद में स्थापित सहकारी समितियां अपने सदस्यों को विभिन्न क्षेत्रों में उनके आर्थिक उन्नयन के लिए ऋण सुविधा प्रदान कर रही हैं। उक्त समितियां सूदूर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करती हैं। क्षेत्र में निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति जो विधि के अनुसार संविदा करने के योग्य है समिति का सदस्य बन सकता है। वर्ष 2011–12 में जनपद के 886 व्यक्तियों ने इन समितियों की सदस्यता ग्रहण की। 31 मार्च 2012 को इन समितियों की कुल सदस्य संख्या 25249 है। जनवरी 2013 तक समितियों की कुल सदस्य संख्या 25625 हो गई है।

अंशधन में वृद्धि :–जनपद की सहकारी समितियां अपने सदस्यों को कृषि ऋण, मध्यकालीन ऋण, व्यवसायिक ऋण देती हैं। समितियां सदस्यों को उनके द्वारा धारित अंश के 20 गुना तक ऋण देने की सुविधा प्रदान करती हैं। वर्ष 2011–12 में इन समितियों में सदस्यों द्वारा 15.00 लाख रू0 लक्ष्य के सापेक्ष 10.04 लाख रू0 अंश धन जमा किया गया। वर्ष 2012–13 में अंशधन वृद्वि के लक्ष्य मु0 15.00 लाख रू0 के सापेक्ष जनवरी 2013 तक समितियों के द्वारा सदस्यों से मु0 10.82 लाख रू0 अंशधन जमा कराया जा चुका है।

मिनी बैंक योजनाः– सहकारी समितियों द्वारा अपने सदस्यों में बचत की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए मिनी बैंक की योजना चालू की गयी है। जनपद में मिनी बैंकों/वित्तार पटलों की कुल संख्या 48 है। वर्ष 2011–12 में इन मिनी बैंकों में 16522 खाताधारकों द्वारा का कुल 440.15 लाख रू0 जमा किया गया। समितियां मिनी बैंको में जमा धनराशि का विनियोजन पिथौरागढ़

जिला सहकारी बैंक की विभिन्न शाखाओं में मियादी तथा बचत खातों में करती हैं। सदस्य अपनी आवश्यकता के अनुसार समय–2 पर बैंक से धन का आहरण करते रहते हैं। वर्ष 2012–13 में जनवरी 2013 तक मिनी बैंक में 17079 खाताधारकों का मु0 443.10 लाख रू0 जमा है।

सहकारी ऋण योजनाः– जनपद में स्थापित सहकारी समितियां अपने कृषक सदस्यों की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अल्पकालीन ऋण वितरण करती हैं, जो रबी/खरीफ फसलों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा सदस्यों को समितियां जिला सहकारी बैंको की शाखाओं से उपलब्ध कराती हैं। सदस्य समितियों द्वारा प्रदत्त चैकों के माध्यम से ऋण आहरित करते हैं। वर्ष 2011–12 के दौरान समितियों द्वारा 3350 कृषक सदस्यों को 755.30 लाख रू0 अंश ''क'' तथा 257.21 लाख रू0 अंश ''ख'' के रूप में वितरित किया गया। वर्ष 2012–13 में जनवरी 2013 तक जनपद की साधन सहकारी समितियों के द्वारा मु0 1200.00 लाख रू0 अल्पकालीन ऋण वितरण लक्ष्य के सापेक्ष मु0 790.19 लाख रू0 ऋण वितरण किया जा चुका है।

मध्यकालीन ऋण योजनाः– जनपद में स्थापित सहकारी समितियों द्वारा अपने कृषक व गैर कृषक सदस्यों को विभिन्न योजनाओं में रोजगारपरक कार्यों के लिए मध्यकालीन ऋण, विविधीकरण योजना के अंतर्गत ऋण दिया जाता है, जिससे सदस्य अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकें। वर्ष 2011–12 के दौरान समितियों द्वारा अपने 201 सदस्यों को 64.53 लाख रू0 मध्यकालीन ऋण दिया गया। वर्ष 2012–13 में जनवरी 2013 तक जनपद की साधन सहकारी समितियों के द्वारा मु0 200.00 लाख रू0 मध्यकालीन ऋण वितरण लक्ष्य के सापेक्ष मु0 84.69 लाख रू0 ऋण वितरण किया जा चुका है।

सहकारी सहभागिता योजनान्तर्गत ऋण वितरणः– उत्तरांचल शासन द्वारा चलायी जा रही महत्वाकांक्षी सहकारी सहभागिता योजना के अन्तर्गत सहकारिता विभाग चम्पावत द्वारा कृषि एवं कृषियेत्तर ऋण 5 से 5.50 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर सहकारी समितियों के माध्यम से सहकारिता से जुड़े सदस्यों को उपलबध कराया जा रहा है जिसके अन्तर्गत 31 मार्च 2012 तक विभिन्न मदों में जैसे दुधारू पशु क्रय हेतु 88 सदस्यों को मु0 26.19 लाख रू0, घोड़ा खच्चर क्रय हेतु 30 सदस्यों को मु0 11.94 लाख रू0, बकरी पालन हेतु 34 सदस्यों को 11.26 लाख रू0, मुर्गी पालन हेतु 2 सदस्य को मु0 0.60 लाख रू0, बढ़ईगिरी हेतु 4 सदस्यों को 1.29 लाख रू0, लोहारगिरी हेतु 3 सदस्यों को मु0 0.78 लाख रू0, टोकरी उद्योग के लिए 10 सदस्यों को मु0 2.92 लाख रू0, रेडीमेड/सिलाई दुकान हेतु 1 सदस्यों को मु0 0.30 लाख रू0, परचून की दुकान हेतु 10 सदस्यों को मु0 3.51 लाख रू0 एवं अन्य व्यवसाय हेतु 19 सदस्यों को मु0 5.74 लाख रू0

तथा 3350 सदस्यों को मु0 1012.51 लाख रू0 फसली ऋण उपलब्ध कराकर सदस्यों को वित्त पोषित किया गया। वर्ष 2012–13 में जनवरी 2013 तक जनपद की साधन सहकारी समितियों के द्वारा मु0 1200.00 लाख रू0 अल्पकालीन ऋण वितरण लक्ष्य के सापेक्ष मु0 790.19 लाख रू0 एवं मु0 200.00 लाख रू0 मध्यकालीन ऋण वितरण लक्ष्य के सापेक्ष मु0 84.69 लाख रू0 ऋण वितरण किया जा चुका है।

उर्वरक वितरण योजना :– जनपद की 20 सहकारी समितियां ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादन में वृद्वि लाने के उद्देश्य से रासायनिक उर्वरकों के वितरण का कार्य कर रही हैं। समिति कृषक सदस्यों को उनकी मांग के अनुसार उत्तराखण्ड सहकरी संघ के माध्यम से इफको के उर्वरकों की आपूर्ति करती है, वर्ष 2011–12 के दौरान समितियों द्वारा जनपद में 462.560 मैं0टन यूरिया, 76.861 मै0टन डी0ए0पी0, तथा 207.054 मै0टन एन0पी0के0 का वितरण किया गया।

वर्ष 2012–13 में जनवरी माह तक उर्वरक वितरण

लक्ष्य वर्ष 2012–13			जनवरी 2013 तक वितरण		
यूरिया	डी0ए0पी0	एन0पी0के0	यूरिया	डी0ए0पी0	एन0पी0के0
480.000	200.000	300.00	533.499	6.231	172.850

उपभोक्ता व्यवसाय :– सहकारी समितियों के द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में किया जाता रहा है। परन्तु वर्तमान में खुली बाजार व्यवस्था में इस व्यवसाय से समितियां अपने विक्रेताओं के वेतन के भार का वहन भी नहीं कर पा रही है, फलस्वरूप समितियों को यह व्यवसाय बन्द करना पड़ रहा है। वर्तमान में कुल 3 समितियां इस व्यवसाय को कर रही है जिससे वर्ष 2011–12 के दौरान समितियों ने 14.12 लाख रू0 का व्यवसाय किया। वर्ष 2012–13 में जनपद की सहकारी संस्थाओं द्वारा मु0 8.22 लाख रू0 का उपभोक्ता व्यवसाय किया गया।

सहकारी ऋण वसूली :– सहकारिता क्षेत्र में ऋणों की वसूली का महत्वपूर्ण स्थान है सहकारी समितियां जिला सहकारी बैंकों से ऋण प्राप्त कर अपने सदस्यों को देती हैं जिसकी समय से वसूली न होने पर ऋण वितरण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता हैं। इसलिए समितियां अपने सदस्यों को वितरित किये गये ऋणों की वसूली पर विशेष ध्यान देती हैं इस कार्य में सहकारिता विभाग, जिला सहकारी बैंक व राजस्व संग्रह विभाग समितियों की सहायता करते हैं। इसके लिए समय–समय पर ऋण वसूली अभियानों का संचालन कर सदस्यों से वसूली की जाती है, ताकि

सदस्यों के विरूद्व उत्पीड़क कार्यवाही न करनी पड़े। यदि सदस्य वसूली में चूक करता है तब अंतिम विकल्प के रूप में प्रकरण राजस्व विभाग के पास वसूली के लिए भेजा जाता है। सदस्य को यह सुविधा प्राप्त है कि वह अपना धन समिति व बैंक जहां उसे सुविधा हो जमा कर सकता हैं परन्तु प्रथम वरीयता के रूप में समिति में ही वसूली का धन जमा करना लाभप्रद रहता है क्योंकि इसमें त्रुटि की आशंका नहीं रहतीं। वित्तीय वर्ष 2011–12 में समितियों की कुल मांग 1542.04 लाख रू0 के विरूद्व 887.94 लाख रू0 की कुल वसूली रही जो कुल मांग का 58 प्रतिशत है। वित्तीय वर्ष 2012–13 में जनवरी माह में समितियों की कुल मांग 1926.17 लाख रू0 के विरूद्व 773.20 लाख रू0 की कुल वसूली की गई है जो 40 प्रतिशत है।

वेतनभोगी सहकारी समितियां :– वर्तमान में जनपद में 3 वेतनभोगी सहकारी समितियां कार्यरत हैं। वेतनभोगी सहकारी समितियां अपने सदस्यों को मूलवेतन का 24 गुना अधिकतम् 4.00 लाख रू0 तक की ऋण सुविधा उनके नियोजकों की संस्तुति के आधार पर देती हैं। वितरित ऋण की वसूली कर्मचारियों के मासिक वेतन से की जाती है।

स्वायत्त सहकारिताएं :– उत्तरांखण्ड राज्य में वर्ष 2003 में उत्तरांचल स्वायत्त सहकारिता अधिनियम लागू किया गया इस अधिनियम के अन्तर्गत गठित की गयी सहकारी समितियों को कार्य करने की पूरी स्वयत्ता प्राप्त है। समितियां अपना प्रबन्ध स्वयं करती है इस अधिनियम के अन्तर्गत इस जनपद में 30 सहकारिताएं पंजीकृत की गयी हैं।

जिला योजना :–जिला योजना 2011–12 के अन्तर्गत दो सहकारी समितियों दूबड़ एवं दिगालीचौड़ को ग्रामीण गोदामों के निर्माण हेतु प्रत्येक के लिए मु0 5.50 लाख रू0 कुल मु0 11.00 लाख रू0 अवमुक्त हुआ। वर्ष 2012–13 की जिला योजना मु0 17.60 स्वीकृत हुई थी जिसके सापेक्ष मु0 5.50 लाख रू0 अवमुक्त हुआ है जिसका आहरण कर सम्बन्धित मद में भुगतान कर दिया गया है।

विभागीय समस्यायें :– जनपद के अस्तित्व में आने के समय सें ही सहकारिता विभाग में जनपद में स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कम है जिस कारण योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में कठिनाई होती है।

जिला सहायक निबन्धक
सहकारी समितियां उत्तराखण्ड
चम्पावत

कार्यालय जिला सहायक निबन्धक सहकारी समितियां उत्तराखण्ड चम्पावत।
पत्रांक– /विभागीय सूचनायें/2012–13 दिनांक फरवरी 2013

सेवा में,

अपर निबन्धक,
सहकारी समितियां उत्तराखण्ड,
सम्पर्क कार्यालय–देहरादून।

महोदय,

आपके कार्यालय पत्रांक सी–240/स्था0–सं0का0/सूचना सरकार की कार्यप्रणाली/2012–13 दिनांक 12 फरवरी 2013 के अनुपालन में सरकार की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता के लिए जनपद की विभागीय महत्वपूर्ण सूचनाएं सबकी पहुंच में रखने के लिए उन्हें स्वतः (Sou moto) वेबसाइट पर प्रदर्शित हेतु आपकी सेवा में प्रेषित हैं। साथ ही महोदय यह भी अवगत कराना है कि उक्त पत्रांक के अनुपालन में सूचनाएं तैयार कर इस कार्यालय के पत्रांक 357/सांख्यिकीय/सूचनाएं/2012–13 दिनांक 19 जुलाई 2012 के द्वारा सूचना विज्ञान अधिकारी, चम्पावत के माध्यम से राज्य सरकार की वेबसाइट ***champawat.nic.in*** पर प्रकाशित कराई गई थी।

संलग्न–यथोक्त।

जिला सहायक निबन्धक
सहकारी समितियां उत्तराखण्ड
चम्पावत